

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100608

दिनांक: 02/04/2026

लोक सूचना

श्रीमति RIA ARYA पुत्री श्री ASHOK ARYA जाति JAT निवासी FLAT NO. 1304 CRESCENT BAY TOWER NO. 06 13TH FLOOR JERBAI WADIA ROAD PAREL MUMBAI CITY MAHARASHTRA-400012

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	गोनेर, साँगानेर (जयपुर)	1.) रिया आर्य पुत्री अशोक आर्य हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी प्लैट नंबर 1304 क्रेस्सएंट बे टॉवर नंबर 06 13 वी मंजिल जेरबाई वडिया रोड परेल मुम्बई सिटी महाराष्ट्र खातेदार	1007	0.22	0.22
2.	गोनेर, साँगानेर (जयपुर)	1.) रिया आर्य पुत्री अशोक आर्य हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी प्लैट नंबर 1304 क्रेस्सएंट बे टॉवर नंबर 06 13 वी मंजिल जेरबाई वडिया रोड परेल मुम्बई सिटी महाराष्ट्र खातेदार	3979/1018	0.014	0.014
3.	गोनेर, साँगानेर (जयपुर)	1.) रिया आर्य पुत्री अशोक आर्य हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी प्लैट नंबर 1304 क्रेस्सएंट बे टॉवर नंबर 06 13 वी मंजिल जेरबाई वडिया रोड परेल	4202/1013	0.045	0.045

		मुम्बई सिटी महाराष्ट्र खातेदार			
4.	गोनेर, साँगानेर (जयपुर)	1.) रिया आर्य पुत्री अशोक आर्य हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी फ्लैट नंबर 1304 क्रेसएंट बे टॉवर नंबर 06 13 वी मंजिल जेरबाई वडिया रोड परेल मुम्बई सिटी महाराष्ट्र खातेदार	4204/3974	0.028	0.028
कुल					0.307

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा ।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **02-04-2026** को जारी की गयी ।

Newspaper name (as per roster)
DAINIK BHASKAR & PUNJAB KESARI

प्राधिकृत अधिकारी जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

